कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3 / 2025 / 1844 लखनऊः दिनांक 10 अगस्त 2025

यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 के माध्यम से स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा के नोटिस दिनांक 07.08.2025 द्वारा अपनी वेबसाईट पर संस्था को अल्पसंख्यक (जैन समुदाय) मानते हुए शैक्षणिक सत्र 2025–26 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से कालेज द्वारा अपने स्तर से शुल्क निर्धारित करते हुए निम्नानुसार शुल्क लिए जाने की सूचना प्रदर्शित की गयी है–

	Fee for Non-Minority students	Fee for Jain-Minority Students
Tuition Fee*:	Rs. 19,25,000/- payable per annum	Rs. 18,50,000/-payable per annum
Miscellaneous Fee	Rs. 94,160/- per annum	Rs. 94,160/- per annum
Refundable Security Money (One Time): (The security money will be refunded after completion of the entire Programme)	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
Hostel Fee: Two-seater Non AC-Room Two-seater AC-Room	 Rs. 2,50,000/- per annum Rs. 3,00,000/- per annum	 Rs. 2,50,000/- per annum Rs. 3,00,000/- per annum

2– डीन, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा के पत्र दिनांक 29.07.2025 एवं रजिस्ट्रार, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोयडा के पत्र दिनांक 07.08.2025 द्वारा संस्था को अल्पसंख्यक (जैन समुदाय) मानते हुए शैक्षणिक सत्र 2025–26 के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क को संशोधित करते हुए उक्त संशोधित शुल्क को महानिदेशालय के पोर्टल पर प्रकाशित कराये जाने एवं एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यक श्रेणी (जैन समुदाय) हेतु आरक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

तत्क्रम में, संस्था द्वारा शासनादेश दिनांक 28.08.1999 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु आवेदन न किये जाने के कारण उनके अनुरोध को इस कार्यालय के पत्र संख्याः एम0ई0–3 / 2025 / 1841 दिनांक 10.08.2025 द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रबंधक / प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा को अवगत कराया जा चुका है।

3– **शासनादेश संख्या–I / 1036663 / 2025 दिनांक 24.07.2025 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों के लिए एम0बी0बी0एस0 / एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 15,23,183 / – शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है।**

4– स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा के उक्त नोटिस दिनांक 07.08.2025 द्वारा अपनी वेबसाईट पर शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में स्वयं को अल्पसंख्यक संस्था (जैन समुदाय) मानते हुए सूचना प्रदर्शित की गयी है, जिससे छात्रों / अभिभावकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

5– उल्लेखनीय है कि यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की समस्त 250 सीटें ओपेन श्रेणी में सम्मिलित की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा को तद्दिनांक तक चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान न किये जाने के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24.07.2025 द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाना अनुमन्य होगा।

(आलोक कुमार)
अपर निदेशक